न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev 856-I/14 जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा आदि के हस्ताक्षर
9–9–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य योग्य नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा निकाला निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर आदेश पारित किया गया है, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र के आधार पर निगरानी में आदेश पारित किया गया है, क्योंकि अपर कलेक्टर द्वारा अनावेदक द्वारा स्वप्ररेणा से निगरानी में लिये जाने के निवेदन को ध्यान में रखकर ही आदेश पारित किया गया है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेख्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

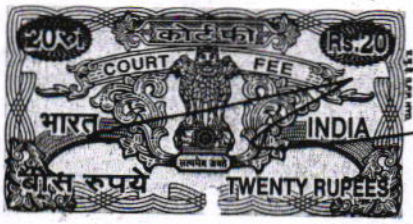

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–मुरैना

रिव्यू-856-I/14

दिनांक 11.3.14 को
श्री के० के० द्विवेदी
अभि० द्वारा प्रस्तुत/

11.3.14
11.50

1. बजरंगलाल पुत्र मुंडीलाल धाकड
2. रामचन्द्र पुत्र मुंडीलाल धाकड
3. रामनिवास पुत्र मुंडीलाल धाकड
4. ओंमकार पुत्र माधोलाल धाकड
5. सॉवल पुत्र माधोलाल धाकड
6. राधेश्याम पुत्र माधोलाल धाकड
7. लक्ष्मीशंकर पुत्र माधोलाल धाकड
   निवासीगण अजापुरा, तहसील श्योपुर कला, जिला मुरैना (म0प्र0)
8. मध्य प्रदेश शासन द्वारा – कलेक्टर, जिला – मुरैना ..... आवेदकगण

विरूद्ध

मंदिर श्रीलक्ष्मीनारायणजी बांके, श्योपुरकला, द्वारा– पुजारी गुरू, पी.सी.के. कनकबल्ली, जर्ये मुख्त्यारआम एस.व्ही. बीर राघवाचार्य, निवासी श्योपुरकला, जिला – मुरैना (म.प्र.)
..... अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक आर.एन./4-2/आर/158/1995 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र।

11/3/14